न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/75/2021	08-10-2021	21-06-2022

01- लालाराम पुत्र छाजूराम जाति जाट निवासी कल्याणनगर तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

-: अपीलाण्ट

बनाम

01- नायब तहसीलदार बानसूर जिला अलवर।

-: रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार बानसूर दिनांक 10.08.2021 अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 06/2021

उपस्थिति:-

01-श्री अनिल गुप्ता

-वकील अपीलाण्ट

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 10.08.2021 प्रकरण संख्या 06/2021 जिसके द्वारा सम्वत 2078 में अपीलान्ट को ग्राम कल्याणनगर तहसील बानसूर की आराजी खसरा नम्बर 335 रकबा 0.14 है0 में से 0.05 है0 किस्म गैर मुमकिन नाला में गुवार की फसल काश्त कर अतिक्रमण किये जाने पर बेदखली/पैनल्टी/तीन माह का सिविल कारावास की सजा से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि पटवारी हल्का चूला ने भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत ग्राम कल्याणनगर की आराजी खसरा नम्बर 335 रकबा 0.14 है0 में से 0.05 है0 किस्म गैर मुमकिन नला में अपीलान्ट द्वारा गुवार की फसल काश्त किये जाने पर रिपोर्ट पेश की गयी प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी को नोटिस जारी कर दिनाक 26.07.2021 को तलब किया गया। अपीलान्ट अनुपस्थित रहा, जिस पर पुनः नोटिस जारी कर तलब किया गया अपीलान्ट पुनः अनुपस्थित रहा। पटवारी हल्का के बयान लिये गये बयान में उल्लेख किया गया है, कि सम्वत 2077 फसल खरीफ में भी उक्त भूमि पर अपीलान्ट के परिवार वालो ने अतिक्रमण कर बाजरे की फसल काश्त की गयी थी, जिनको बेदखल किया गया था, जिसके आधार पर अपीलान्ट को आदतन अतिचारी करार दिया जाकर अपीलान्ट के विरूद्व दिनाक 10.08.2021 को खसरा नम्बर 335 रकबा 0.14 है0 में से 0.05 है0 किस्म गैर मुमकिन नाला में गुवार की फसल काश्त कर अतिक्रमण किये जाने पर बेदखली/पैनल्टी/तीन माह का सिविल कारावास की सजा के आदेश पारित किये गये। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को कोई नोटिस नही दिया गया न ही कोई तामील करवायी गयी नोटिस पर अपीलान्ट के भतीजे हस्ताक्षर किसी दिगर व्यक्ति के करवाये जाकर तामील कुनन्दा के द्वारा नोटिस बाद तामील न्यायालय को पेश किये। तामील रिपोर्ट को ही पर्याप्त मानते हुए तहत अदालत द्वारा आदेश पारित कर दिये इस प्रकार अपीलान्ट तहत अदालत के समक्ष अपना पक्ष नही रखने से वंचित हो गया तहत अदालत द्वारा जो आदेश पारित किये गये है, वो बाला-बाला दिये गये है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। तहत अदालत द्वारा पारित आदेश की जानकारी तब हुई जब पुलिस वाले वारण्ट के निष्पादन के लिए अपीलान्ट के घर उनके पीछे से आये और उनके घर वालो को

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

उक्त आदेश के बारे में बताया गया तो अधिवक्ता के माध्यम से जानकारी की गयी। तहत अदालत के निर्णय की नकल हेतु आवेदन किया और कानूनी सलाह लेकर अपील विना देरी किये की गयी है। पारित आदेश दिनांक 10.08.2021 की प्रथम जानकारी की दिनाक 08.09.2021 से व उसके बाद का समय माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 05 कानून मियाद का पेश कर अपील अपीलान्टान अन्दर अवधि मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 10.08.2021 को निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.08.2021 के विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 22.09.2021 को पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 10.08.2021 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 08.09.2021 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के विन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्व को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि आराजी खसरा नम्बर 335 रकबा 0.14 है0 में से 0.05 है0 किस्म गैर मुमकिन नला में अपीलान्टान का कोई अतिक्रमण नही है, तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को कोई नोटिस नही दिया गया न ही कोई तामील करवायी गयी नोटिस पर अपीलांन्ट के भाई के हस्ताक्षर किसी दीगर व्यक्ति के करवाये जाकर तामील कुनिन्दा के द्वारा नोटिस बाद तामील न्यायालय को पेश किये। तामील रिपोर्ट को ही पर्याप्त मानते हुए तहत अदालत द्वारा आदेश पारित कर दिये इस प्रकार अपीलान्ट तहत अदालत के समक्ष अपना पक्ष नही रखने से वंचित हों गया तहत अदालत द्वारा जो आदेश पारित किये गये है, वो वाला–वाला दिये गये है, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम कल्याणनगर की आराजी खसरा न0 335 रकबा 0.14 है0 में से 0.05 है0 किस्म गैर मुमकिन नाला में गुवार की फसल काश्त कर अतिक्रमण किये जाने पर अतिकमी को जरिये नोटिस तलब किया गया, जारी नोटिस की प्रति अतिकमी के पुत्र को दी जाकर बाद तामील प्राप्त हुई। बावजूद सूचना के अतिक्रमी अनुपस्थित रहा है। इस लिए यह नही कहा जा सकता है की अतिकमी को सुनवाई का अवसर नही दिया गया हो, तहत अदालत की पत्रावली में शामिल बयान पटवारी हल्का के अनुसार वर्णित आराजी पर अतिकमी/परिवारजनो के द्वारा धारा 91 में सजा के प्रावधान से बचने के लिए प्रशासन को तंग करने की नियत से गैरसायल/परिवाजन बारी–बारी बदल–बदल कर अतिकमण करते चले आ रहे है। तहत अदालत द्वारा प्रकरण में विधिवत कार्यवाही की जाकर विधिवत निर्णय पारित किया गया है, तथा पारित निर्णय की पालना में तहत अदालत द्वारा नियमानुसार किये गये अतिकमण के विरूद्व फर्द नीलामी की कार्यवाही/मौके से बेदखली की कार्यवाही विधिवत रूप से की गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है, कि प्रकरण में वर्णित आराजी की किस्म गैर मुमकिन नाला है, जो प्रतिवन्धित भूमि की श्रेणी में आती है, उक्त भूमि पर अतिकमण किये जाने का किसी को कोई अधिकार नही है। तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 10.08.2021 न्यायोचित प्रक्रियानुसार है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है। अतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21-06-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)